By- Dr. Shailesh Kumar, dept of economics
Raja Singh college Siwan.

23.5.20

B.A. II
Paper IVth

(1)

भारत में दुहरे कर की समस्या :-

(Problems of Double Taxation in India)

एक ही कर देने वाली अर्थात कराधार से एक से अधिक बार कर का वसूल किया जाना दुहरा कर कहलाता है। स्पष्ट है कि कर दाताओं के दृष्टि कोण से यह एक बहुत ही अनुपयुक्त स्थिति होती है। और कर देने वाले ये चाहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान हो।

दुहरे कर निम्न प्रकार के हो सकते हैं :-

(1) दुहरे कर का एक रूप यह है कि किसी एक कराधार पर दो या दो से अधिक सरकारें करारोपण कर रही हों। यहाँ पर हम पहले उस स्थिति को लेंगे जिसमें कर लगाने वाली सभी सरकारें अपने देश की हों। जैसे कि देश की केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा स्थानीय सरकारें इत्यादि। भारत के संविधान में किसी कराधार पर एक से अधिक स्तर की सरकारों द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता। केवल इतना ही सकता है कि कई राज्य सरकारें अथवा कई स्थानीय सरकारें एक ही कराधार पर अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कर लगाएं। हमारे देश में कराधारों की पहचान और वर्गीकरण का काम बड़ी सुक्षमता से किया गया है। उदाहरण के लिए कृषि आय पर केवल राज्य सरकारें कर लगा सकती हैं जबकि कृषि भिन्न आय पर केवल केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार है। इसी तरह किसी विशेष वस्तुओं के उत्पादन पर राज्य सरकारें तथा अन्य सभी वस्तुए के उत्पादन पर केन्द्र को उत्पादन शुल्क वसूलने का अधिकार है।

(2) दुहरे कर का एक स्वरूप वह है जिसमें एक ही कराधार पर दो या दो से अधिक बार कर लगाया जाए। इस संदर्भ में भारतीय कर प्रणाली काफी दोषयुक्त है, जिसे अब सुधारने का कार्य चल रहा है। उदाहरणार्थ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को लिया जा सकता है। यह सामान्यतः मूल्यपरक होता है तथा वस्तु के सकल मूल्य पर आँका जाता है। अधिकतर मामलों में

P.T.O.

Scanned by CamScanner

वस्तु में प्रयुक्त कच्चे माल, पूंजी तथा इसके अन्य भागों पर पहले से उत्पादन शुल्क दिया जा चुका होता है। इसलिए न केवल उत्पादन के हर नए चरण में पहले से करारोपित आगतों पर फिर से कर लग जाता है। प्रत्येक नए उत्पादन शुल्क का आधार मूल्य भी बढ़ जाता है अर्थात पहले से दिए गए कर पर भी फिर से कर देयता उपजती जाती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पादन लागत तथा कीमतों में चक्रीय वृद्धि हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए मूल्यवर्धन कर (Value added tax) की पद्धति अपनाई जा रही है। इस पद्धति में उत्पादनकर्ता की कर देयता करारोपित वस्तु पर निर्धारित उत्पादन शुल्क में से उसमें प्रयुक्त आगतों पर पहले से अदा किए गए कर को घटाने के पश्चात राशि के बराबर आंकी जाती है। अब इन करारोपित आगतों में वस्तुओं के अतिरिक्त सेवाएँ भी शामिल रहती हैं। इसी प्रकार भारत में राज्य स्तर पर बिक्री कर को भी मूल्यवर्धन कर में परिवर्तित किया जा रहा है

प्रत्यक्ष करों में भी कई प्रकार का दुहरापन देखने को मिलता है चाहे सैद्धान्तिक रूप से कर का आधार बदला जाता है। इस तथ्य की स्पष्टता के लिए कई तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक आय अर्जित करने वाला व्यक्ति उस आय पर कर चुकाने के पश्चात भी कई प्रकार से कर देयी बनता है। उस आय को व्यय करने पर उसे व्यय कर देना पड़ सकता है।

(3) दुहरे कर का बहुचर्चित रूप वह है जिसमें एक ही आय पर दो देशों की सरकारें कर लगा रही हों। इस समस्या का मूल कारण सरकारों द्वारा यथासंभव हर प्रकार से अपने कर राजस्व को बढ़ाने की प्रवृत्ति है। साथ ही उनकी यह इच्छा भी रहती है कि सारी व्यवस्था इस प्रकार से हो जिससे आवश्यकता पड़ने पर कर राजस्व को उचित स्तर तक बढ़ाया जा सके। इन सब बातों का परिणाम कई बार यह निकलता है कि यदि कानून की अनुमति हो तो एक ही कर आधार पर दो या दो से अधिक देशों की सरकारें कर लगा देती हैं। इस प्रकार दुहरे कर की समस्या अधिकतर आय के मामले में देखने को मिलती है। हर सरकार यह चाहती है कि उसके देश के भीतर सकल अर्जित आय पर कर लगाने का अधिकार उसे ही हो तथा यदि उसके नागरिक एवं व्यावसायिक इकाइयाँ अन्य देशों में जाकर अथवा वहाँ से आय अर्जित करें, तो उस पर भी कर वसूलने का अधिकार उसे ही हो।

इस दुहरे कर की समस्या का समाधान विभिन्न देशों की सरकारों में आपसी समझौतों से निकाला जा सकता है।

P.T.O

Scanned by CamScanner

I8r Input output analysis

(3)

जिसके अन्तर्गत सरकारें आय पर लगने वाले कर तथा उनकी वसूली आदि के सभी आयामों पर एकमत हो सकती हैं। परन्तु इस प्रकार के समझौते केवल कुछ गिनी-चुनी सरकारों में ही संभव हो सकते हैं। ~~परन्तु इस प्रकार के समझौते केवल~~ बाकी मामलों में हर सरकार अपनी नागरिक आर्थिक इकाईयों को विदेश में भुगतान किए गए आय कर के बदले कुछ राहत प्रदान करती है। इस राहत के कई रूप हो सकते हैं जैसे कि कर माँग को विदेश में अदा किए गए कर की राशि के बराबर घटा देना या करदाता या करदाता इकाई पर रियायती दर से कर लगाना आदि।